

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे०के०प्रा०यो०-32/2008-48

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचंद्र पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक- 10.04.2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत केन्द्रांश मद में कुल राशि रु० 1852.60 लाख (रु० अठारह करोड़ बावन लाख साठ हजार) मात्र तथा राज्यांश मद में कुल राशि रु० 4500.00 लाख (रु० पैंतालीस करोड़) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 6352.60 लाख (रु० तिरसठ करोड़ बावन लाख साठ हजार) मात्र की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

विभागीय संकल्प सं०-1089, दिनांक-04.09.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संवाहन एवं योजनान्तर्गत राज्य के अन्तर्गत सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति की कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रु० 2,31,67,00,000/- (रु० दो सौ इकतीस करोड़ सरसठ लाख) मात्र की स्वीकृति, योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने, केन्द्र प्रायोजित योजना से अनाच्छादित रह जाने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत संचालित मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 से आच्छादित किये जाने एवं उक्त हद तक विभागीय संकल्प सं०-673, दिनांक-23.03.2023 के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2-वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबन्ध के आलोक में व्यय विभाग (PFMS प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1(13) PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विमुक्त किये गये राशि का अनुश्रवण एवं उपयोग हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत केन्द्रांश मद में कुल राशि रु० 1852.60 लाख (रु० अठारह करोड़ बावन लाख साठ हजार) मात्र तथा राज्यांश मद में कुल राशि रु० 4500.00 लाख (रु० पैंतालीस करोड़) मात्र अर्थात् कुल राशि रु० 6352.60 लाख (रु० तिरसठ करोड़ बावन लाख साठ हजार) मात्र राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3-कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2026-27 में मांग संख्या 11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मुख्यशीर्ष 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277- शिक्षा, उपशीर्ष 0215- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विषय शीर्ष 34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा, विपत्र कोड-11-2225-03-277-0215 पी०एफ०एम०एस० कोड-9494 अन्तर्गत रु० 1852.60 लाख (रु० अठारह करोड़ बावन लाख साठ हजार) मात्र केन्द्रांश एवं रु० 4500.00 लाख (रु० पैंतालीस करोड़) मात्र राज्यांश विकलनीय होगा।

4- व्यय विभाग (PFMS प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1(13) PFMS/FCD/2020 दिनांक-23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राशि का व्यय Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agency (IA) के बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया के तहत SNA Account के माध्यम से राशि की निकासी की जानी है। केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु Single Nodal Agency पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है तथा कार्यान्वयन एजेंसी शिक्षा विभाग है।

5-इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होंगे तथा व्ययन पदाधिकारी, Implementing Agency(IA) के रूप में अवर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राशि की निकासी कर SNA के बैंक खाता (खाता संख्या-40661887820, IFSC Code-SBIN0000153, State Bank of India, Secretariat Branch, Sinchai Bhawan, Patna) में संधारित करेंगे। Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी केन्द्र प्रायोजित PM-YASASVI योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत निर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1089, दिनांक-04.09.2025 के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार SNA Account से राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गयी राशि की व्यय विवरणी समय-समय पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

6-उक्त स्वीकृत राशि का व्यय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 के छात्रवृत्ति भुगतान के लिये किया जायेगा।

P.T.O.

7-शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि उपर्युक्त कंडिका-5 के आलोक में PFMS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का DBT करेंगे। छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेंगे।

8-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

9- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-43 से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

10-स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

11-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार ठाकुर),

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक- 10/4/26

ज्ञापांक- 1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0-32/2008- 48

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक- 10/4/26

ज्ञापांक- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0-32/2008 48

प्रतिलिपि-अपर सचिव कोषांग/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव (बजट शाखा)/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक- 10/4/26

ज्ञापांक- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0-32/2008 48

प्रतिलिपि-सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक- 10/4/26

ज्ञापांक- सं०-1/छात्रवृत्ति प्रवे0के0प्रा0यो0-32/2008 48

प्रतिलिपि- माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।